2020 का विधेयक सं.35

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में,-
- (i) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(2-क) खोजबीन समिति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।
 - (2-ख) कुलपित के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए व्यक्तियों के नाम पर विचार करते समय खोजबीन समिति,

शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने के लिए पैनल के साथ संलग्न करेगी।"; और

- (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(3) कोई भी व्यक्ति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह, भारतीय पशु-चिकित्सा पिरषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथापिरभाषित मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अहीता रखने वाला और किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करने के सब्त सिहत दस वर्ष का अनुभव रखने वाला, जिसमें से कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव देश में के किसी विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष या संकायाध्यक्ष अथवा किसी महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में होना चाहिए, और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला, पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रख्यात शिक्षाविद न हो।"।
- 3. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 में नयी धारा 24-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के पश्चात् और विद्यमान धारा 25 से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-
- "24-क. कुलपित का हटाया जाना.- (1) यदि कुलाधिपित की राय में, कुलपित इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में

जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शिक्तयों का दुरुपयोग करता है, या यिद कुलाधिपित को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपित का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपित, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपित को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपित द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपित को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-
 - (क) ऐसा कुलपित, कुलपित के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन पिरलिब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;
 - (ख) कुलपित के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति दवारा किया जायेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के उपबंधों को अंगीकार करने के लिए मंजूरी दी थी। तत्पश्चात् इन विनियमों में वर्ष 2013 और 2018 में संशोधन किये गये।

क्लपति के अन्भव और चयन प्रक्रिया के संबंध में, विश्वविद्यालय अन्दान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की निय्क्ति हेत् न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अन्रक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 के खण्ड 7.3.0 को, और क्लपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर धारण करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की निय्कित हेत् न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को, प्रभावी करने के लिए उससे संबंधित उपबंधों को राजस्थान पश्चिकित्सा और पश् विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में सम्मिलित किया जाना सम्चित समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में क्लपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो उसको हटाये जाने का कोई उपबंध पूर्वीक्त अधिनियम में नहीं है। इसलिए, क्लपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलेत किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

> यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्त्त है।

> > लालचंद कटारिया, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

- (3) कोई व्यक्ति जिसने शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की है और पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व के गुण प्रदर्शित किये हैं, और जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं रखता है, कुलपित के पद के लिए पात्र होगा:-
 - (क) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथापरिभाषित मान्यताप्राप्त पश्चिकित्सा अर्हता रखता हो;
 - (ख) देश के किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र इत्यादि की पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान में अध्यापन या अनुसंधान या विस्तार प्रणाली में आचार्य के या उसके समतुल्य पद पर न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव रखता हो, जिसमें से कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव देश में के किसी विश्वविद्यालय में संकाय के अध्यक्ष या संकायाध्यक्ष या किसी महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्राचार्य का होना चाहिए।

Bill No.35 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

further to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-**(1) This Act may be called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 13 of 2010.- In section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010), hereinafter referred to as the principal Act,-
- (i) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-
 - "(2-A) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.
 - (2-B) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.";and

- (ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in the field of veterinary and animal sciences education having a recognised veterinary qualification as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984) and a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization with proof of academic excellence and demonstrated leadership qualities out of which, at least three years of experience should be as Chairperson or Dean of Faculty of any University or Dean or Principal of any college in the country and, of a highest level of competence, integrity, morals, and institutional commitment.".
- **3. Insertion of new section 24-A, Rajasthan Act No. 13 of 2010.-** After the existing section 24 and before the existing section 25 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-
- **"24-A. Removal of Vice Chancellor.**-(1) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-
 - (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled:
 - (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in order.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had given sanction for adoption of the provisions of University Grants Commission Regulations, 2010. Later amendments were made in these Regulations in the Year 2013 and 2018.

In order to give effect to, clause 7.3.0 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2013 regarding experience and selection procedure of Vice-Chancellor and, clause 7.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 regarding possession of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment by a person to be appointed as Vice-Chancellor, it is considered appropriate to incorporate the provisions relating thereto in the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010. Moreover, there is no provision for removal of Vice-Chancellor in the aforesaid Act if any unprecedented condition warrants it before the end of his tenure. Therefore, the provision relating to removal of Vice-Chancellor is also required to be included.

Accordingly, the aforesaid Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

लालचंद कटारिया, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES ACT, 2010

(Act No. 13 of 2010)

XX 24. The Vice-Chancellor.- (1) to (2) xx xx xx (3) A person who has attained academic excellence

- (3) A person who has attained academic excellence and demonstrated leadership qualities in veterinary and animal sciences education and has the following minimum qualifications shall be eligible for the post of Vice-Chancellor:-
 - (a) a recognized veterinary qualification as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984);
 - (b) minimum six years of experience on the post of Professor or equivalent in any teaching or research or extension system of veterinary and animal sciences of any University or research centre etc. of the Country, out of which at least three years of experience should be as Chairperson or Dean of faculty of any University or Dean or Principal of any college in the Country.

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

	-
A	
Bill	
further to amend the Rajasthan Un Animal Sciences Act, 2010.	niversity of Veterinary and
(To be introduced in the Rajasthan	Legislative Assembly)
	Pramil kumar Mathur,
	Secretary.

(Lalchand Kataria, Minister-Incharge)

2020 का विधेयक सं.35

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर, सचिव। (लालचंद कटारिया, प्रभारी मंत्री)